भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6368
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य

6368. श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने ग्रामीण परिवारों को चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं और लक्ष्यों की तुलना में कितने प्रतिशत परिणाम हासिल हुए हैं;
(ख) हर घर जल गांव के रूप में घोषित किए गए गांवों की संख्या कितनी है और ऐसी घोषणा के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) क्या नल कनेक्शन बंद होने की घटनाएं हुई हैं, यदि हां, तो शिकायतों के समाधान और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रणाली है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%)

परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ख): जेजेएम के अंतर्गत, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल कनेक्शनों का प्रावधान करने के बाद, योजना का कार्यान्वयन करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है तथा गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 'हर घर जल' के रूप में संसूचित किए गए लगभग 2.75 लाख गांवों में से लगभग 1.81 लाख गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(ग) और (घ): विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में जल प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार पानी मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिलता पाया गया; 76% परिवार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवार आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए। कार्यशीलता मूल्यांकन के परिणामों को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सुधारात्मक उपाय करने और कार्यशीलता सुनिश्चित करने हेतु साझा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के तहत शिकायतों/सवालों आदि को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर देखा और निपटाया जाता है। इस विभाग में जब कभी ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, तो उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त

पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने तथा जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) का है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार, 30.03.2026 तक, राज्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक, मोबाइल और/या डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तरों पर 2,874 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क संचालित करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुदूर के तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में, जहां निश्चित प्रयोगशाला बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं हो सकता है, वहां पीने के पानी के परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए एफटीके और मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। मोबाइल प्रयोगशालाएं पेयजल स्रोतों और आपूर्ति प्रणालियों के ऑन-साइट परीक्षण को सक्षम बनाती हैं, जिससे दूर-दराज की पंचायतों सहित ग्रामीण बसावटों में जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण सेवाओं का विस्तार होता है।
